न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO.-1997/00002

मिसल नम्बर– 50 / 2006

1. दी यूनियन ऑफ इण्डिया, जर्ये डी.आर.एम. वे०रे० कोटा राजस्थान,

.....प्रार्थी

बनाम

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा,

.....अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

वाद बाबत अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक 30/4/2026

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई प्रकरण निम्न प्रकार है :–

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय कोटा के पत्रांक 293 दिनांक 22.01.1997 के साथ मण्डल रेल प्रबंधक कोटा का पत्रांक 17 दिनांक 17.01.1997 इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण प्रविष्टीयों मे शुद्धि का होने से धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया।

मण्डल रेल प्रबंधक द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 17.01.1997 द्वारा निवेदन किया गया है कि :–

माला ड्रेन(चौडाई 30 फुट) की भूमि रेल्वे ने कोटा रियासत से दिनांक 11.01. 1915 को ली थी, नक्शे बतौर साक्ष्य प्रस्तुत है। जिस पर रेवेन्यू कमिश्नर, ऐजेन्ट दीवान कोटा रियासत, पोलिटीकल ऐजेन्ट एवं रेल्वे के अधिशाषी अभियन्ता के हस्ताक्षर है और आज तक रेल्वे का कब्जा चल रहा है एवं रख रखाव भी रेल्वे कर रही है।

भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

संख्या	गांव का नाम	भूमि एकड मे
1	खंड गांवडी	1.54
2	खेडली पुरोहित	2.16
3	डडवारा	20.52

उक्त भूमि का नगर विकास न्यास को हस्तान्तरण किया जाना था जिससे संबंधित सर्वे, नाप तौल एवं सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी एवं एक रेवेन्यू प्लान तैयार किया था जिस पर पटवारी तहसीलदार लाडपुरा के भी हस्ताक्षर है एवं उनकी उपस्थिति मे ही सारा सर्वे का काम पुरा हुआ था। इस प्रकार प्लान मे भी उक्त भूमि रेल्वे की ही दर्शाई है। जो लाल रंग मे दिखाई है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

उक्त भूमि को नगर विकास न्यास के साथ हस्तान्तरण किया जाना था इससे संबंधित पूरी कार्यवाही हो चुकी है कवेल एग्रीमेंट ही हस्ताक्षर होना शेष था, इसी संदर्भ मे आपके कार्यालय मे दिनांक 19.12.1996 को एक मीटिंग हुई थी। जिसमे यह बताया गया है कि यह भूमि रेलवे के खाते मे नही है बल्कि पी. डब्ल्यू. डी. के खाते मे है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि यह भूमि रेल्वे की थी एंव गलती से पी.डब्ल्यू.डी के खाते मे दर्ज हो गई है। इस संबंध मे खसरा प्लान, सेटेलमेंट जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल इत्यादि रिकोर्ड से यह पता लगावाने की व्यवस्था की जाये कि यह भूमि कब पी.डब्ल्यू.डी के खाते दर्ज हो गई एवं पुनः इसे रेल्वे के खाते दर्ज करवाने की व्यवस्था करवाने के आदेश देवे एवं उपरोक्त साक्ष्य रेल्वे विभाग को भी उपलब्ध करवाने का आदेश देवे। जिससे उक्त भूमि का रेल्वे एवं नगर विकास न्यास के बीच हस्तान्तरण हो सके। और अनाधिकृत कब्जों को रोका जा सके।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 13.06.1997 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि– "ग्रामवार गत भू प्रबंध संवत् 2010–14, 2016–24 तथा 2038–57 का मिलानर क्षेत्रफल तैयार किया गया जिसका मिलान राजस्व रिकोर्ड से किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:–

1. ग्राम खण्ड गांवडी – ग्राम खण्ड गांवडी के पूर्व खसरा संख्या 2016 से पूर्व व 2016–24 मे 128 मिन, 129 मिन, 116, 117, 118, 119 मिन के नवीन खसरा नम्बर 132 व 133/178 वर्तमान मे सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम पर दर्ज खाता है। पूर्व मे ये नम्बर रेल्वे के नाम पर दर्ज थे।

2. ग्राम खेडली पुरोहित – ग्राम खेडली पुरोहित मे खसरा संख्या 63 संवत् 2016 से पूर्व संवत् 2016–24 मे खसरा संख्या 107, 103 का नवीन खसरा संख्या 2038–57 मे खसरा संख्या 158, 176, 179 बनाया गया। जो रिकोर्ड मे सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रिकोर्ड है।

3. ग्राम डडवाडा – ग्राम डडवाडा मे संवत 2016 से पूर्व खसरा संख्या 179/66, 67, 68, 69, 71, 72 ,73 74, 75, 76, 180/77, 78, 222/179, 182/22, 83, 151,/84, रेल्वे के नाम दर्ज थे। संवत् 2016–24 मे खसरा संख्या 40 मिन 33 मिन 191 मिन 38 मिन 35 मिन 44, 91, 45, 86, 87, 49, की भूमि के नवीन खसरा संख्या 93/127, 93/118, 27/98, 26, 25/119, 39/101, 40/107, 25/108, 39, 40, 25/120, 52, 41, 96/121, 10/122, 9/114/123, 9/113/131 राजस्व रिकोर्ड सिवायचक खातेदारी मे दर्ज है। इस ग्राम की भूमि पी.डब्ल्यू. डी. के नाम दर्ज नही की गई है। पूर्व मे नाला रेल्वे के खाते है जिसे खातेदारी आबादी मे दर्ज की है। ग्राम खण्ड गांवडी, खेडली पुरोहित के रिकोर्ड मे अनियमितता की है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिनांक 19.02.2002 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि :–

रेल्वे जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमे कौनसे खसरा नम्बर की कितनी भूमि पी. डब्ल्यू.डी. के खाते दर्ज की गई है। इसका कोई विवरण नही है। जबकि प्रार्थना पत्र मे पूर्ण विवरण खसरा नम्बरान माल गांव का नाम रकबा दर्ज होना अनिवार्य है ताकि प्रार्थी रिकोर्ड से देखकर अपना जवाब पेश कर सके।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मे खसरा संख्या माल व रकबा जो पी.डब्ल्यू.डी. के खाते रेल्वे से जाना बताया गया है का विवरण दर्ज करवाने व प्रति दिलवाने का आदेश प्रदान किया जावे। ताकि जवाब पेश किया जा सके।

भारतीय रेल्वे विभाग द्वारा प्रतिवादी नं0 1 के जवाब पर जवाबुल जवाब दिनांक 07.06.2002 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

– रेल्वे विभाग की ग्राम खण्ड गांवडी की खसरा संख्या 132 की 0.50 है0 व खसरा संख्या 133/178 की 0.70 है0 तथा ग्राम खेडली पुरोहितजी की खसरा संख्या 158 की 0.26 है0, खसरा संख्या 176 की 0.24 है0 खसरा संख्या 179 की 0.23 है0 भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते दर्ज हो रही है। जबकि उक्त भूमि पूर्व मे रेल्वे की खातेदारी की भूमि थी।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 13.06.1997 को जो रिपोर्ट माननीय न्यायालय मे भेजी है उसके अनुसार भी इस बात की पुष्टि होती है।

उक्त जवाब उपरांत पत्रावली दिनांक 28.09.2002 को वास्ते बहस नियत की गई। तब से लेकर पत्रावली 20.02.2025 तक बहस मे लंबित रही। दिनांक 20.02.2025 को बहस हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया। किन्तु उसके उपरांत भी बहस नही की गई। तत्पश्चात सख्त निर्देश के साथ दिनांक 15.04.2026 को बहस हेतु पुनः अंतिम अवसर प्रदान कियागया। लेकिन उभयपक्ष द्वारा बहस नही किये जाने के कारण दिनांक 20.04.2026 को उभयपक्ष की बहस का अवसर बंद कर दिया गया।

हमने पत्रावली एंव संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे खसरा नम्बरान का विस्तृत विवेचन करते हुये स्पष्टतया अंकित किया गया है कि ग्राम खण्ड गांवडी और खेडली पुरोहित के रिकोर्ड मे अनियमितता हुई है। पत्रावली मे संलग्न सम्पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि ग्राम खण्ड गांवडी का वर्तमान खसरा संख्या 132 रकबा 0.50 है0 खसरा संख्या 133/178 का रकबा 0.70 है0 तथा खेडली पुरोहित का खसरा संख्या 158 रकबा 0.26 है0 खसरा संख्या 173 रकबा 0.24 है0 खसरा संख्या 179

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

रकबा 0.23 है0 सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते दर्ज रिकोर्ड है। लेकिन संवत् 2016 से पूर्व के रिकोर्ड तथा संवत 2016–24 के रिकोर्ड के आधार पर उक्त खसरा नम्बरान के पूर्व नम्बर रेल्वे विभाग के खाते दर्ज रिकोर्ड थे। उक्त तथ्यों को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भी स्वीकार किया गया है। उक्त परिस्थितियों मे जबकि ग्राम खण्ड गांवडी व खेडली पुरोहित मे भू प्रबंध विभाग द्वारा रेल्वे विभाग की भूमि को सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते दर्ज किया जाना प्रमाणित है। हम प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम खण्ड गांवडी का वर्तमान खसरा संख्या 132 रकबा 0.50 है0, खसरा संख्या 133/178 का रकबा 0.70 है0 तथा खेडली पुरोहित का खसरा संख्या 158 रकबा 0.26 है0 खसरा संख्या 173 रकबा 0.24 है0 खसरा संख्या 179 रकबा 0.23 है0 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते से हटाकर रेल्वे विभाग के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। ग्राम डडवाडा के संबंध मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उनकी प्रार्थना को प्रमाणित नही कर पाते है। अतः ग्राम डडवाडा की सीमा तक प्रार्थी का आवेदन निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा